न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

गुरमीत कौर आदि बनाम गुरूकौर वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2024	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः प्रतिवादीगण (अप्रार्थीगण) को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.02.2025 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल ख0नं0 363 रकबा 0.0100हे0, 241 रकबा 0.2400हे0, 426 रकबा 0.5600हे0, 295 रकबा 0.3400हे0 वाके ग्राम नंगलिया तहसील किशनगढबास में प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजी पर रहन, बैय से मुंतकिल न करें तथा विवादित आराजी पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 17.02.2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)	

7-01-25 पत्रावली मूलवाद के साथ पेश हुई। वादीया ने अपना मूलवाद जर्ये प्रा0पत्र विड्रा। खारिज करवा लिया है। अत प्रा0पत्र 212 R.T.Act भी खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। [signature]

गुरमीत कौर

J.D (M.....) Adv

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल-तिजारा)